

अधिसूचना

संख्या: 11/नि०1-03/10.....⁷⁵⁹

पटना, दिनांक 27.4., 2016

प्रस्तावना।- संविधान की 74वीं संशोधन के आलोक में नगर निकायों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षकों के नियोजन का कार्य नगर निकाय संस्थाओं को पूर्व में ही हस्तगत करा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के पद पर नियोजन की जिम्मेवारी नगर निकायों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ विशेष योजना के अधीन, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर नियोजन हेतु बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

भारत-संविधान के अनुच्छेद-243 ब सहपठित बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा-45, 47 (4) एवं 419 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार नगर निकाय-माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-

- (i) यह नियमावली "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-6 के उपनियम (iv), (v) एवं (v) (ख) में संशोधन।-

उक्त नियमावली 2006 के नियम -6 के उप नियम (iv), (v) में उल्लिखित पंक्ति "परंतु स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी/समकक्ष को 05 अंक अतिरिक्त जोड़ा जायेगा।" निम्नलिखित पंक्ति द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी एवं (v) (ख) में उल्लिखित उपर्युक्त पंक्ति विलोपित की जायेगी :-

"परंतु स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी/समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 05 अंक अतिरिक्त जोड़ा जायेगा।"

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-6 के उपनियम (ix) (क) का प्रतिस्थापन।-

उक्त नियमावली, 2006 के उपनियम (ix) (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(क) प्रकाशित विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र निर्गत किया जायेगा। अभ्यर्थी को समय पर नियोजन पत्र मिल सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।"

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उपनियम (i),(ii),(iii) में संशोधन।-

उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 के उप नियम (i), (ii) एवं (iii) खंड (क) में प्रयुक्त शब्द खंड "नियत वेतन के आधार पर" शब्द खंड "राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित नियमित वेतनमान में" प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

5. उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के (v) का प्रतिस्थापन।-

उक्त नियमावली 2006, के नियम 8 के (v) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(v) अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियोजन के तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पूर्व से नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी इस संशोधन नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में सवैतनिक अवकाश इस शर्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पाँच वर्षों तक शिक्षण का कार्य करेंगे। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में, प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि की राशि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बाँड देना आवश्यक होगा। वसूलनीय राशि लोक माँग के रूप में वसूलनीय होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डी०एस० गंगवार)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 11/नि०1-03/10.....⁷⁵⁹ पटना, दिनांक :- ^{27.4.16}.....

प्रतिलिपि :- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागीय सचिव/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं सभी पंचायत सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डी०एस० गंगवार)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 11/नि०1-03/10.....⁷⁵⁹ पटना, दिनांक :- ^{27.4.16}.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी० डी० के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

(डी०एस० गंगवार)

प्रधान सचिव।